न्यायालय
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

16/36/2022 पुनीता
03/11/22 रामअवतार
2022
263

13/6/23 मेरे समक्ष कार्य की तिथि 25/4/23 को हड़ताल होने कारण पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित अप्रार्थी अनुपस्थित कार्य के दौरान पत्रावली हेतु पत्रावली आदेश हेतु तिथि 27/6/23 की नियत की

9

27.6.23 पत्रावली पेश हुई व मुकदमा उभय पक्षों का अवलोकन किया गया न्यायालय के विचारार्थ धारा 250 जा० प्र० 14(4) के अन्तर्गत प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ प्र०क्र० 16/132/2023 निर्णय तिथि 21.3.2023 न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के द्वारा पारी आवंटन आदेश क्रमांक 1645 तिथि 2.3.2022 को निरस्त कर दिया गया है इसलिए उक्त विचारार्थ धारा 250 जा० प्र० 14(4) में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने पर धारा 14(4) की कार्यवाही ड्रॉप किया जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)